

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 143/2021

GCMS NO. : 2021/346

--:: वादी :-

बनाम

--:: प्रतिवादीगण :-

1. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति
जाट निवासी डिगरना,
तहसील जैतारण, जिला-पाली।

1. अकबर अली पुत्र लालु खां
2. साबुदीन पुत्र आसु खां
3. रईसा पुत्री आसु खां
4. रईसा पत्नी साबुदीन
5. मुमताज पुत्री आसुखां
जातियान तेली मुसलमान
निवासीगण बिरोल तहसील
जैतारण।
6. गजराई पुत्री करीम
7. गनी मोहम्मद पुत्र करीम
8. धापूड़ी पत्नी घीसू खां
9. निजामुदीन पुत्र करीम
10. पताई पुत्री करीम
11. पिस्ता पुत्री करीम
12. बरकत खां पुत्र मांगीलाल
13. लाल मोहम्मद पुत्र करीम
14. लीला पुत्री घीसू खां
15. सुभान खां पुत्र करीम
16. सलीम पुत्र मांगीलाल
17. सिक्का खां पुत्र घीसू खां
18. सिकंदर खां पुत्र घीसू खां
जातियान-लौहार मुसलमान
निवासीगण -बिरोल, तहसील
जैतारण जिला पाली।
19. शकू पुत्री गबरु
20. बरकत पुत्र गबरु
जातियान- तेली, मुसलमान
निवासीगण बिरोल।
21. लक्ष्मी देवी पत्नी मिश्रीलाल
जाति सुथार निवासी निम्बेड़ा
कलां तहसील रायपुर जिला पाली।
22. तहसीलदार जैतारण, तहसील
जैतारण।

राजस्व वाद बाबत तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजु: 18.10.2021

उपस्थित:- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री अरुणसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी।



--: निर्णय :-

दिनांक:- 05/06/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बिरोल पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 375 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, ख. नं. 375/4 रकबा 3.7231 हैक्टेयर, ख. नं. 373 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, ख. नं. 373/10 रकबा 0.4128 हैक्टेयर तथा ख.नं. 373/2 रकबा 6.8230 हैक्टेयर किस्म चाही दोगम कि आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी व नकल रजिस्ट्री वादपत्र के साथ पेश है। वादी की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा मौके पर वादी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है परन्तु मौके पर सभी पक्षकारान का अपना अपना हिस्सा अलग से बंटा हुआ है और सभी पक्षकारान हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है एवं उपरोक्त वर्णित आराजी सभी पक्षकारान के सामलाती दर्ज है तथा वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने हक हिस्से का रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए अपने हक हिस्से कि भूमि का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामिल दर्ज होने एवं कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें वादी अपने हक हिस्से की भूमि में बैंक से ऋण नहीं ले सकता है तथा अपने हक हिस्से कि भूमि को खाद बीज डालकर उपजाऊ नहीं कर सकता है तथा न ही उसके चारो तरफ मेडबन्दी व तारबन्दी कर सकता है। राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से प्रत्येक खातेदार का मौके पर हक हिस्सा निश्चित नहीं है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में सामलाती आराजी होने से वादी कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाना चाहता है। इसलिए यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादपत्र के पद सं 1 में वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करने का वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा कानूनन बंटवाड़ा करने से दिनांक 05/10/2021 को मना कर दिया गया। वादी ने समझाईश भी की परन्तु प्रतिवादीगण कानूनन बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमत नहीं हुए तब वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादी संख्या

23 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़े के वाद में

(जयान सुन्दर बिरोल)
उपरोक्त अधिकारी एवं पद
शासक कल्याण जैतारण (बाली)

आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 05/10/2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने एवं वादी को उसके हक 4 हिस्से कि भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम बिरोल तहसील जैतारण मे पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार मे है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 से 05 तथा 20 से 22 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपरिथत रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 02 तथा 06 से 18 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 तथा 06 से 18 ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पेश किए, शामिल मिसल किए गए। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा बिरोल सम्बत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकॉर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 375 रकबा 2.2743 हैक्टर, खसरा संख्या 375/4 रकबा 3.7231 हैक्टर, खसरा संख्या 373 रकबा 2.9137 हैक्टर, खसरा संख्या 373/10 रकबा 0.4128 हैक्टर, खसरा संख्या 373/2 रकबा 6.8230 हैक्टर किस्म चाही दोयम में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 से 18 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का- बिरोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 375 रकबा 2.2743 हैक्टर, खसरा संख्या 375/4 रकबा 3.7231 हैक्टर, खसरा संख्या 373 रकबा 2.9137 हैक्टर, खसरा संख्या 373/10 रकबा 0.4128 हैक्टर, खसरा संख्या 373/2 रकबा 6.8230 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगद्दी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/873 दिनांक 23/08/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/6274 दिनांक 07/10/2022 प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।




(श्याम सुंदर धिंगोई)
जुज/अधीक्षक एवं पटल
राजस्थान हाईकोर्ट (पाली)

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की इशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकूलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का- बिरोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काशत की खसरा नम्बर 375 रकबा 2.2743 हैक्टर, खसरा संख्या 375/4 रकबा 3.7231 हैक्टर, खसरा संख्या 373 रकबा 2.9137 हैक्टर, खसरा संख्या 373/10 रकबा 0.4128 हैक्टर, खसरा संख्या 373/2 रकबा 6.8230 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1	अमराराम पुत्र पोकरराम कौम-जाट, सा. डिगरना खातेदार	373	0.6833	चा. दोयम	6.76
		375/6	0.5423	चा. दोयम	
		373/26	0.7061	चा. दोयम	
	योग	3	1.9317		6.76
2	निजामुद्दीन पुत्र करीम कौम लुहार सा. देह खातेदार	373/11	0.3156	चा. दोयम	3.96
		373/16	0.2420	चा. दोयम	
		373/34	0.1032	चा. दोयम	
		373/25	0.4724	चा. दोयम	
	योग	4	1.1332		3.96
4.	गनी मोहम्मद पुत्र करीम कौम लुहार सा. देह खातेदार	373/12	0.3156	चा. दोयम	3.96
		373/15	0.2420	चा. दोयम	
		373/33	0.1032	चा. दोयम	
		373/24	0.4723	चा. दोयम	
	योग	4	1.1331		3.96
5.	सुभान खां पुत्र करीम कौम लुहार सा. देह खातेदार	373/13	0.3156	चा. दोयम	1.17
		373/18	0.2420	चा. दोयम	
		373/32	0.1032	चा. दोयम	
		373/23	0.4724	चा. दोयम	
	योग	4	1.1332		3.96



5.	लाल मोहम्मद पुत्र करीम कौम लौहार सा. देह खातेदार	373/13	0.3156	चा. दायम	1.17
		373/18	0.2420	चा. दायम	
		373/32	0.1032	चा. दायम	
		373/23	0.4724	चा. दायम	
	योग	4	1.1332		3.96
6.	लक्ष्मी देवी पत्नी मिश्रीलाल कौम सुथार सा. निम्बेड़ा कला(रायपुर) खातेदार	375	1.5054	चा. दायम	5.26
7.	साबुद्दीन पुत्र आसुखां कौम तेली सा. देह खातेदार	375/7	0.1133	चा. दायम	1.07
		373/30	0.1942	चा. दायम	
	योग	2	0.3075		1.07
8.	बरकतखां पुत्र मांगीलाल कौम लौहार सा. देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी. शाखा जैतारण	375/4	0.9522	चा. दायम	5.38
		373/2	0.5856	चा. दायम	
	योग	2	1.5378		5.38
9.	सलीमखां पुत्र मांगीलाल कौम लौहार सा. देह खातेदार	375/8	1.3267	चा. दायम	
		373/19	0.2111	चा. दायम	
	योग	2	1.5378		
10.	सिक्का खां पुत्र घीसूखां कौम लौहार सा. देह खातेदार	375/9	1.1462	चा. दायम	5.38
		373/20	0.3916	चा. दायम	
	योग	2	1.5378		5.38
11.	सिकन्दर खां पुत्र घीसूखां कौम लौहार सा. देह खातेदार	375/10	0.2980	चा. दायम	5.38
		373/21	1.2398	चा. दायम	
	योग	2	1.5378		5.38
12.	मुमताज पुत्री आसुखां कौम तेली सा. देह खातेदार	373/27	0.1335	चा. दायम	0.86
		375/6	0.1133	चा. दायम	
	योग	2	0.2468		0.86
13.	रईसा पुत्री आसुखां कौम तेली सा. देह खातेदार	373/28	0.1335	चा. दायम	0.46
14.	रईसा पुत्री साबुद्दीन कौम तेली सा. देह खातेदार	373/29	0.1942	चा. दायम	0.67
15.	अकबर अली पुत्र लालूखां कौम तेली सा. देह खातेदार	373/31	1.1440	चा. दायम	4.00



(श्याम सुन्दर धिञ्जोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कृषि विभाग (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(प्रशासनिक अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
 जिला-पाली (राज0)



निर्णय आदेश दिनांक 05/06/2023 को प्रशासन गांवों के संग कैम्प बिरोल में

सुनया गया

(प्रशासनिक अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
 जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
-:: वादी :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

1. अमराराम पुत्र पोकरराम
जाति जाट निवासी डिगरना,
तहसील जैतारण,
जिला-पाली।
1. अकबर अली पुत्र लालु खां
2. साबुदीन पुत्र आयु खां
3. रईसा पुत्री आयु खां
4. रईसा पत्नी साबुदीन
5. मुमताज पुत्री आयुखां
जातियान तेली मुसलमान
निवासीगण बिरोल तहसील
जैतारण।
6. गजराई पुत्री करीम
7. गनी मोहम्मद पुत्र करीम
8. धापूड़ी पत्नी घीसु खां
9. निजामुदीन पुत्र करीम
10. पताई पुत्री करीम
11. पिस्ता पुत्री करीम
12. बरकत खां पुत्र मांगीलाल
13. लाल मोहम्मद पुत्र करीम
14. लीला पुत्री घीसू खां
15. सुभान खां पुत्र करीम
16. सलीम पुत्र मांगीलाल
17. सिक्का खां पुत्र घीसू खां
18. सिकंदर खां पुत्र घीसू खां
जातियान
लौहार मुसलमान निवासीगण
बिरोल तहसील जैतारण जिला
पाली।
19. शकू पुत्री गबरु
20. बरकत पुत्र गबरु जातियान तेली
मुसलमान निवासीगण बिरोल।
21. लक्ष्मी देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति
सुथार निवासी निम्बेड़ा कलां
तहसील रायपुर जिला पाली।
22. तहसीलदार जैतारण, तहसील
जैतारण।

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 143/2021
निर्णय/डिक्री दिनांक :- 05.06.2023

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु व
हाजरी श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री अरुण सिंह
राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है
कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध
प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सरहद मौजा
बिरोल, पटवार हल्का- बिरोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान में वादी
एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 375 रकबा 2.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

2743 हैक्टर, खसरा संख्या 375/4 रकबा 3.7231 हैक्टर, खसरा संख्या 373 रकबा 2.9137 हैक्टर, खसरा संख्या 373/10 रकबा 0.4128 हैक्टर, खसरा संख्या 373/2 रकबा 6.8230 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1	अमराराम पुत्र पोकरराम कौम-जाट, सा. डिगरना खातेदार	373	0.6833	चा. दायम	6.76
		375/6	0.5423	चा. दायम	
		373/26	0.7061	चा. दायम	
	योग	3	1.9317		6.76
2	निजामुद्दीन पुत्र करीम कौम लुहार सा. देह खातेदार	373/11	0.3156	चा. दायम	3.96
		373/16	0.2420	चा. दायम	
		373/34	0.1032	चा. दायम	
		373/25	0.4724	चा. दायम	
	योग	4	1.1332		3.96
4.	गनी मोहम्मद पुत्र करीम कौम लुहार सा. देह खातेदार	373/12	0.3156	चा. दायम	3.96
		373/15	0.2420	चा. दायम	
		373/33	0.1032	चा. दायम	
		373/24	0.4723	चा. दायम	
	योग	4	1.1331		3.96
5.	सुभान खां पुत्र करीम कौम लुहार सा. देह खातेदार	373/13	0.3156	चा. दायम	1.17
		373/18	0.2420	चा. दायम	
		373/32	0.1032	चा. दायम	
		373/23	0.4724	चा. दायम	
	योग	4	1.1332		3.96
5.	लाल मोहम्मद पुत्र करीम कौम लौहार सा. देह खातेदार	373/13	0.3156	चा. दायम	1.17
		373/18	0.2420	चा. दायम	
		373/32	0.1032	चा. दायम	
		373/23	0.4724	चा. दायम	
	योग	4	1.1332		3.96
6.	लक्ष्मी देवी पत्नी मिश्रीलाल कौम सुथार सा. निम्बेड़ा कला(रायपुर) खातेदार	375	1.5054	चा. दायम	5.26
7.	साबुद्दीन पुत्र आसुखां कौम तेली सा. देह खातेदार	375/7	0.1133	चा. दायम	1.07
		373/30	0.1942	चा. दायम	
	योग	2	0.3075		1.07

8.	बरकतखां पुत्र मांगीलाल कौम	375/4	0.9522	चा. दायम	5.38
	लौहार सा. देह खातेदार रहन आर.	373/2	0.5856	चा. दायम	
	एम.जी.बी. शाखा जैतारण	योग 2	1.5378		5.38
9.	सलीमखां पुत्र मांगीलाल कौम	375/8	1.3267	चा. दायम	
	लौहार सा. देह खातेदार	373/19	0.2111	चा. दायम	
		योग 2	1.5378		
10.	सिक्का खां पुत्र घीसूखां कौम	375/9	1.1462	चा. दायम	5.38
	लौहार सा. देह खातेदार	373/20	0.3916	चा. दायम	
		योग 2	1.5378		5.38
11.	सिकन्दर खां पुत्र घीसूखां कौम	375/10	0.2980	चा. दायम	5.38
	लौहार सा. देह खातेदार	373/21	1.2398	चा. दायम	
		योग 2	1.5378		5.38
12.	मुमताज पुत्री आसुखां कौम तेली	373/27	0.1335	चा. दायम	0.86
	सा. देह खातेदार	375/6	0.1133	चा. दायम	
		योग 2	0.2468		0.86
13.	रईसा पुत्री आसुखां कौम तेली सा.	373/28	0.1335	चा. दायम	0.46
	देह खातेदार				
14.	रईसा पुत्री साबुद्दीन कौम तेली सा.	373/29	0.1942	चा. दायम	0.67
	देह खातेदार				
15.	अकबर अली पुत्र लालूखां कौम	373/31	1.1440	चा. दायम	4.00
	तेली सा. देह खातेदार				

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीजमुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहरफीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तकको अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/06/2023 को जारी किया गया ।



(श्यामसुन्दर बिशनोई)
सहायक उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुखई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	- ५०	स्टाम्प वकालतनामा	05	- ५०
स्टाम्प वकालतनामा	01	- ५०	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	- ५०	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

07-५०

मिजान:-

मिजान:-

05-५०

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।